प्रश्न सं. 10 इस संघ शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजातीय कृषकों को क्या रियायत/सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं ?

उत्तर : इस संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जनजातीय कृषकों को बीज, उर्वरक और कीटनाशी आदि जैसे निवेश इमदादी दरों पर दिए जाते हैं ।

प्रश्न सं. 11 (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों पर उत्पीड़न/अत्याचार के जो मामले आपकी जानकारी में आए हैं कृपया उनकी संख्या बताएँ । उनका किस प्रकार निपटारा किया गया ?

उत्तर : पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जनजातियों पर उत्पीड़न/अत्याचार का कोई भी मामला इस राज्यक्षेत्र के प्रशासन की जानकारी में नहीं आया है ।

प्रश्न सं. 11 (ख) इस उत्पीड़न/अत्याचार के मुख्य कारण और प्रकृति क्या है ?

उत्तर : प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न सं. 11 (ग) कृपया बताएं कि ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हैं ?

उत्तर : ऐसे अपराधों को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस जनजातीय क्षेत्रों में निरन्तर चौकसी और नियंत्रण रखती है ।

प्रश्न सं. 11 (घ) क्या इस संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे मामलों से और अधिक प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर कोई विशेष कक्ष स्थापित किए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर : ऐसे कक्ष की स्थापना की आवश्यकता नहीं समझी गई है ।

<u>सेवाएँ</u>

प्रश्न सं० 12. (क) संघ शासित प्रशासन द्वारा किस श्रेणी के पदों के लिए सीधी भर्ती की जा रही है और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में किए गए आरक्षण का प्रतिशत क्या है ?

उत्तर : केवल "ग" और "घ" के पदों के लिए राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा सीधी भर्ती की जा रही है । इस प्रशासन में अनुसूचित जन-जातियों के लिए बारह प्रतिशत आरक्षण रखा गया है ।